

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम-बुधवार के लिए निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

| प्रश्न                                                                                                        | उत्तर                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सरकार ने कोई नवीन आउटसोर्सिंग कार्मिक नीति बनाई है?            | आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1/295497/2023/छत्तीस-5-2023-36-5010(099)/3/2020-5, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है, जो वर्तमान में प्रभावी है। |
| (ख) यदि हाँ, तो नवीन नीति किस तिथि से लागू की गयी है?                                                         | उपरोक्तानुसार।                                                                                                                                                                  |
| (ग) क्या चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय और तृतीय श्रेणी तकनीकी सुपरवाइजरों की भर्तियों की कोई प्रशिक्षण सूची बनायेंगे? | प्रश्न नहीं उठता।                                                                                                                                                               |
| (घ) क्या उपरोक्त नीति के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम व अधिकतम शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट रखी गयी है? | जी नहीं।                                                                                                                                                                        |
| (ङ) यदि हाँ, तो उपरोक्त नीति में न्यूनतम एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखने के क्या कारण हैं?        | प्रश्न नहीं उठता।                                                                                                                                                               |

अनिल राजभर  
मंत्री,  
श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ०प्र०।